



The
ACHIEVERS
IAS ACADEMY
PATNA

Daily
NEWS CHRONICLE

IDEAL FOR

For UPSC/BPSC & For other Exams

Hindi

NEWS CREDIT

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

NEWS COVERED

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



Monday, July 20, 2026



+91 8434931877



www.achieversiaspatna.co.in



achieversiaspatna@gmail.com

दिन की प्रमुख घटनाएं

- **स्काईरूट एयरोस्पेस का विक्रम-1** सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचने वाला भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट बन गया
- भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान **हवाई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास** पिच ब्लैक 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे
- ईपीएफओ ने **नुकसान और दंड विवादों के डिजिटल निपटान के लिए विश्वास 2026 योजना** शुरू की
- सीसीपीए ने **बुकिंग प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न उल्लंघन के लिए** स्पाइसजेट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
- वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर **गारफील्ड सोबर्स** का 89 साल की उम्र में निधन, ऐतिहासिक विरासत छोड़ गई
- भारत ने **स्वच्छ खेल प्रणाली को मजबूत करने के लिए** राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 लागू किया
- **इराक ने इराक-सीरिया पाइपलाइन परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए** पश्चिमी कंपनियों के साथ प्रमुख तेल समझौतों पर हस्ताक्षर किए
- भारतीय नौसेना को **समुद्री संचालन बढ़ाने के लिए अमेरिका से अतिरिक्त एमएच-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टर** प्राप्त हुआ
- **उच्चतम न्यायालय** ने खनन क्षेत्र के लिए एमएमडीआर अधिनियम के तहत रॉयल्टी प्रावधान पर रॉयल्टी को बरकरार रखा
- **RBI ने नियामक अनुपालन उल्लंघनों के लिए** मुथूट फाइनेंस और अन्य NBFC को दंडित किया

स्काईरूट का विक्रम-1 अंतरिक्ष में पहुंचने वाला भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट बन गया



यह खबरों में क्यों है?

- स्काईरूट एयरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले निजी रूप से विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसमें कई पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में सफलतापूर्वक रखा गया है।

मिशन आगमन के बारे में

- मिशन नेम : मिशन आगमन
- द्वारा लॉन्च किया गया: स्काईरूट एयरोस्पेस
- प्रक्षेपण यान: विक्रम-1
- प्रक्षेपण स्थल: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी), श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश
- उद्देश्य: भारत के पहले निजी रूप से विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान की क्षमता का प्रदर्शन करना और कई उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में तैनात करना।
- मिशन प्रकार: प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण मिशन।
- पेलोड: कई ग्राहक और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड ले गए।
- महत्व: मिशन आगमन एक भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी द्वारा पहला सफल कक्षीय मिशन है, जो भारत में वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है।

इसे 'आगमन' क्यों कहा जाता है?

- "आगमन" शब्द का हिंदी में अर्थ है "आगमन"। यह मिशन कक्षीय प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के आगमन का प्रतीक है, जो देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।

विक्रम-1 के बारे में

- डेवलपर: स्काईरूट एयरोस्पेस
- नाम पर: डॉ. विक्रम साराभाई, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक।
- प्रकार: चार चरणों वाला छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान।
- पेलोड क्षमता: लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तक 350 किलोग्राम तक।
- प्रौद्योगिकी: तीन टोस-ईंधन चरणों और उन्नत प्रणोदन और मार्गदर्शन प्रणालियों के साथ एक पुनरांभ करने योग्य तरल-ईंधन ऊपरी चरण का उपयोग करता है।

स्काईरूट एयरोस्पेस के बारे में

- स्थापित: 2018
- मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
- संस्थापक: पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका (इसरो के पूर्व वैज्ञानिक)।
- महत्व: ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला भारत का पहला निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप।

महत्व

- यह सफल प्रक्षेपण भारत के निजी कक्षीय प्रक्षेपण युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह भारत की वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करता है, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के देश के लक्ष्य का समर्थन करता है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

- इन-स्पेस: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए 2020 में स्थापित।
- इसरो: निजी अंतरिक्ष मिशनों के लिए तकनीकी सहायता और बुनियादी ढांचा प्रदान करना जारी रखता है।
- लो अर्थ ऑर्बिट (LEO): पृथ्वी की सतह से लगभग 160 किमी से 2,000 किमी तक फैला हुआ है और आमतौर पर पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों के लिए उपयोग किया जाता है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

- रॉकेट: विक्रम-1
- मिशन: मिशन आगमन
- कंपनी: स्काईरूट एयरोस्पेस

- प्रक्षेपण स्थल: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा - उपलब्धि: भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट - पेलोड क्षमता: 350 किलो से LEO - स्थापित: 2018	- मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना - नाम रखा गया: डॉ. विक्रम साराभाई
--	---

एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026: बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना के राफेल विमान ऑस्ट्रेलिया पहुंचे



- रक्षात्मक काउंटर एयर (डीसीए) संचालना - बड़ी ताकत वाला रोजगार। - बहुराष्ट्रीय अंतरसंचालनीयता। - जटिल नकली लड़ाकू मिशन।
--

राफेल लड़ाकू विमान के बारे में:

- निर्माता: डसॉल्ट एविएशन (फ्रांस)। - पीढ़ी: 4.5-पीढ़ी के मल्टीरोल लड़ाकू विमान। - भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया: 2020।
--

- भारतीय वायु सेना (IAF) ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (RAAF) के प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए अपने राफेल लड़ाकू विमान को ऑस्ट्रेलिया में तैनात किया है।
- भारतीय दल में 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 सी-17 ग्लोबमास्टर III परिवहन विमान और 120 से अधिक वायु योद्धा शामिल हैं।
- यह अभ्यास 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के आरएएफ बेस डार्विन, टिडल और एम्बरले में आयोजित किया जाएगा और इसमें 19 देशों की भागीदारी शामिल है।
- इसका उद्देश्य मित्र वायु सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता, परिचालन सहयोग और युद्ध तत्परता को बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु

- व्यायाम: पिच ब्लैक 2026। - मेजबान देश: ऑस्ट्रेलिया। - भाग लेने वाले राष्ट्र: 19. - थीम: उच्च अंत बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण और इंटरऑपरेबिलिटी।
--

एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में:

- रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (आरएएफ) द्वारा होस्ट किया गया।
- पहली बार आयोजित: 1981।
- आवृत्ति: द्विवार्षिक (हर दो साल में)।
- मुख्य रूप से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है।

पर ध्यान केंद्रित करता है:

आक्रामक काउंटर एयर (ओसीए) संचालना

भारतीय वायु सेना के ठिकाने:

- अंबाला (हरियाणा)।
- हासीमारा (पश्चिम बंगाल)।

सक्षम है:

- वायु श्रेष्ठता मिशन।
- सटीक जमीनी हमले।
- समुद्री हड़ताल संचालना।
- परमाणु निरोध।

से लैस:

- उल्का बियॉन्ड विजुअल रेंज (बीवीआर) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
- स्कैल्प लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल।
- HAMMER सटीक-निर्देशित हथियार प्रणाली।

C-17 ग्लोबमास्टर III के बारे में:

- रणनीतिक भारी लिफ्ट परिवहन विमान।
- निर्माता: बोइंग (यूएसए)।

के लिए इस्तेमाल होता है:

- रणनीतिक एयरलिफ्ट।

- सेना की तैनाती।
- मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर)।
- भारी उपकरण परिवहन।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग:

प्रमुख द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों में शामिल हैं:

AUSINDEX (नौसेना अभ्यास)।
अभ्यास ऑस्ट्राहिंद (सेना अभ्यास)।
अभ्यास मालाबार (क्वाड नौसेना अभ्यास)।
व्यायाम पिच ब्लैक (वायु सेना)।
रक्षा सहयोग 2020 में स्थापित भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) द्वारा निर्देशित है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों इसके सदस्य हैं:

- क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)।
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए)।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस)।

- जी20.
- भारत ने 2024 में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी की, जो मित्र वायु सेनाओं के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग को प्रदर्शित करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

व्यायाम: पिच ब्लैक 2026।
मेज़बान: रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (RAAF)।
मेज़बान देश: ऑस्ट्रेलिया।
स्थान: डार्विन, टिंडल और एम्बरली एयर बेस।
भारतीय विमान: राफेल और सी-17 ग्लोबमास्टर III।
भारतीय दल: 4 राफेल, 2 सी-17, 120+ वायु योद्धा।
भाग लेने वाले राष्ट्र: 19.
आवृत्ति: द्विवार्षिक।
पहली बार आयोजित: 1981।
संबंधित साझेदारी: भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2020)।

ईपीएफओ ने नुकसान और जुर्माने से संबंधित विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए विश्वास 2026 योजना शुरू की



- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत लगाए गए नुकसान और दंड से संबंधित विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान की सुविधा के लिए विश्वास 2026 शुरू किया है, जो एक बार की विवाद समाधान योजना है।
- यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने, मुकदमेबाजी को कम करने और नियोक्ताओं को लंबित विवादों को हल करने के लिए एक पारदर्शी, पूरी तरह से डिजिटल और समयबद्ध तंत्र प्रदान करने का प्रयास करती है।
- यह 29 जून 2026 को लागू हुआ और छह महीने तक चालू रहेगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) या ई-साइन का उपयोग करके ईपीएफओ नियोक्ता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए जाएंगे।
एक समयबद्ध डिजिटल निपटान प्रक्रिया प्रदान करता है।
कार्यान्वयन के लिए ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों में समर्पित विश्वास प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।
नुकसान और दंड से संबंधित पात्र विवादों को कवर करता है:
ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14बी।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128

कवर किए गए मामलों की श्रेणियाँ

इस योजना में चार व्यापक श्रेणियां शामिल हैं:

- ऐसे मामले जहां नुकसान या दंड के आदेश न्यायिक मंचों के समक्ष चुनौती के अधीन हैं।
- अंतिम आदेश जहां वसूली लंबित है या केवल आंशिक रूप से पूरी हुई है।
- ऐसे मामले जिनमें नोटिस जारी किए गए हैं लेकिन अंतिम आदेश अभी तक पारित नहीं किए गए हैं।

- ऐसे मामले जहां नुकसान या जुर्माने के लिए नोटिस अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।

विश्वास 2026 के तहत कम दंड दरें:

• 14 जून 2024 से पहले की चूक के लिए, रियायती दरों पर हर्जाना/जुर्माना पुनर्गणना की जाएगी:	
• डिफॉल्ट की अवधि	घटी हुई दर
• 2 महीने तक	0.25% प्रति माह
• 2 से 4 महीने से कम	0.50% प्रति माह
• 4 महीने से अधिक	1.00% प्रति माह
• इन घटी हुई दरों का उद्देश्य लंबित मामलों के त्वरित निपटान को प्रोत्साहित करना है।	

EPFO के बारे में:

• स्थापित: 1952।
• मूल मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय।
• प्रमुख: रमेश कृष्णमूर्ति
• मुख्यालय: नई दिल्ली।
• सांविधिक आधार: कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।

कार्य:

- कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का प्रबंधन करता है।
- कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 का प्रबंधन करता है।
- कर्मचारी जमा लिंकड बीमा योजना (ईडीएलआई), 1976 का प्रबंधन करता है।
- संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति बचत और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

EPF और MP अधिनियम, 1952 के बारे में:

- संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून।
- कर्मचारियों की निर्धारित न्यूनतम संख्या को नियोजित करने वाले निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के लिए लागू।
- धारा 14B EPFO को PF योगदान में देरी के लिए हर्जाने की वसूली करने का अधिकार देती है।
- विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम की धारा 7Q के तहत नियंत्रित होता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के बारे में:

- संसद द्वारा अधिनियमित चार श्रम संहिताओं में से एक।
- सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित किया गया।

सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का विस्तार करता है:

• संगठित श्रमिक।
• असंगठित श्रमिक।
• गिग कार्यकर्ता।
• मंच कार्यकर्ता।
• धारा 128 संहिता के तहत चूक के लिए हर्जाना और दंड से संबंधित है।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

• चार श्रम संहिताएं
• वेतन संहिता, 2019
• औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

ईपीएफओ के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

• कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
• कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995
• कर्मचारी जमा लिंकड बीमा योजना (ईडीएलआई), 1976

मंत्रालय:

- श्रम और रोजगार मंत्रालय
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- मिन्स्टर: डॉ. मनसुख मांडविया

परीक्षा फोकस बिंदु:

• योजना: विश्वास 2026।
• कार्यान्वयन एजेंसी: ईपीएफओ।
• मूल मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय।
• प्रभावी तिथि: 29 जून 2026।
• अवधि: छह महीने।

- प्रकृति: एकमुश्त विवाद समाधान योजना।
- लागू कानून: ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952; सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020।
- प्रासंगिक अनुभाग: धारा 14B (EPF अधिनियम), धारा 128 (सामाजिक सुरक्षा संहिता)।

- आवेदन मोड: ईपीएफओ नियोक्ता पोर्टल (डीएससी/ई-साइन)।
- ईपीएफओ का मुख्यालय: नई दिल्ली।

सीसीपीए ने अपने बुकिंग प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का उपयोग करने के लिए स्पाइसजेट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया



- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने स्पाइसजेट पर अपने स्पाइसक्लब लॉयल्टी कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को स्वचालित रूप से नामांकित करने और स्पष्ट उपयोगकर्ता की सहमति के बिना पूर्व-टिक किए गए चेकबॉक्स के माध्यम से प्रचार संचार के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- सीसीपीए ने माना कि ये प्रथाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023 का उल्लंघन करते हुए निषिद्ध "डार्क पैटर्न" के समान हैं।

- डार्क पैटर्न ब्रामक यूजर इंटरफेस (यूआई) डिजाइन हैं जो उपयोगकर्ताओं को ऐसे निर्णय लेने में हेरफेर करते हैं या गुमराह करते हैं जो वे अन्यथा नहीं कर सकते हैं।

डार्क पैटर्न के सामान्य प्रकार:

- ट्रिक प्रश्न - भ्रमित करने वाले शब्द जो उपयोगकर्ताओं को गुमराह करते हैं।
- जबरन कार्रवाई - लेन-देन पूरा करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।
- इंटरफ़ेस हस्तक्षेप - विकल्पों को अस्पष्ट करते हुए एक विकल्प को हाइलाइट करना।
- बास्केट स्नीकिंग - उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उत्पादों/सेवाओं को जोड़ना।
- शेमिंग की पुष्टि करें - बाहर निकलने को हतोत्साहित करने के लिए अपराधबोध पैदा करने वाली भाषा का उपयोग करना।
- सदस्यता जाल - रद्द करना कठिन बनाना।

स्पाइसजेट को क्यों लगाया गया दंड?

सीसीपीए ने पाया कि स्पाइसजेट का बुकिंग इंटरफ़ेस:

- स्वचालित रूप से उपयोगकर्ताओं को स्पाइसक्लब लॉयल्टी प्रोग्राम में नामांकित किया गया।
- प्रचार संदेशों के लिए पूर्व-चयनित सहमति बॉक्स का उपयोग किया गया।
- उपभोक्ताओं को सकारात्मक सहमति लेने के बजाय सक्रिय रूप से बाहर निकलने की आवश्यकता है।
- उपभोक्ता स्वायत्तता कम हो गई और खरीद निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित किया।
- स्वतंत्र, सूचित और स्पष्ट सहमति के सिद्धांत का उल्लंघन किया।

डार्क पैटर्न क्या हैं?

सीसीपीए ने स्पाइसजेट की प्रथाओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया:

- ट्रिक प्रश्न
- जबरन कार्रवाई
- इंटरफ़ेस हस्तक्षेप
- शामिल कानूनी प्रावधान

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:

- अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना करता है।
- सीसीपीए को जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं को वापस बुलाने, दंड लगाने और अनुचित प्रथाओं को बंद करने का आदेश देने का अधिकार देता है।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020:

- स्पष्ट और सकारात्मक सहमति प्राप्त करने के लिए ई-कॉमर्स संस्थाओं की आवश्यकता होती है।
- नियम 4(9) पूर्व-टिक किए गए चेकबॉक्स के माध्यम से स्वचालित रूप से सहमति रिकॉर्ड करने पर रोक लगाता है।
- डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023
- उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किया गया।
- भ्रामक इंटरफ़ेस डिज़ाइन को परिभाषित करें और प्रतिबंधित करें जो उपभोक्ता की पसंद को खराब करते हैं।
- सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, बाजारों, विज्ञापनदाताओं और विक्रेताओं के लिए लागू।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में:

- के तहत स्थापित: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।
- प्रशासनिक मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।

कार्य:

- उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करें।
- अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करें।
- भ्रामक विज्ञापनों को विनियमित करें।
- निर्देश जारी करें, जुर्माना लगाएं और जहां आवश्यक हो वहां उत्पाद वापस बुलाने का आदेश दें।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित किया गया।

शुरू किया:

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)।
- उत्पाद देयता प्रावधान।
- मध्यस्थता तंत्र।

- ई-कॉमर्स का विनियमन।
- भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई।

भारत में उपभोक्ता अधिकार

अधिनियम छह उपभोक्ता अधिकारों की गारंटी देता है:

• सुरक्षा का अधिकार।
• सूचना का अधिकार।
• चुनने का अधिकार।
• सुनने का अधिकार।
• निवारण प्राप्त करने का अधिकार।
• उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
• उपभोक्ता मामले विभाग
• मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण।
• उपभोक्ता कल्याण नीतियों और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।

परीक्षा फोकस बिंदु:

• प्राधिकरण: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)।
• जुर्माना: ₹1 लाख।
• कंपनी: स्पाइसजेट।
• समस्या: पहले से टिक किए गए सहमति बॉक्स का उपयोग करके डार्क पैटर्न।
• प्रासंगिक कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।
• प्रासंगिक नियम: उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020।
• दिशानिर्देश: डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन, 2023
• प्रासंगिक नियम: नियम 4(9) - स्पष्ट और सकारात्मक सहमति।
• प्रशासनिक मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

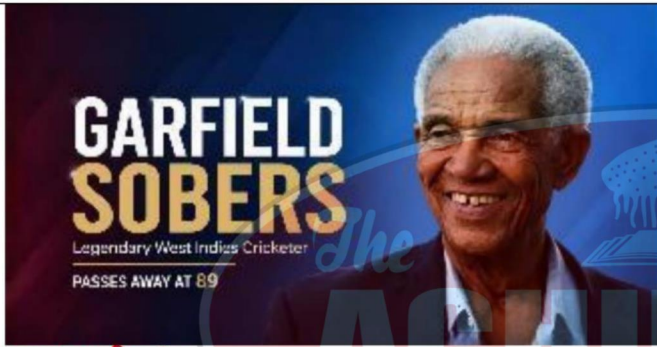
वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का निधन

- वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड "गैरी" सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- क्रिकेट इतिहास में व्यापक रूप से सबसे महान ऑलराउंडर के रूप में माने जाने वाले, सोबर्स ने 1954 से 1974 तक वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया और कई बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण रिकॉर्ड बनाए।

मुख्य विचार:

- पूरा नाम: सर गारफील्ड सेंट ऑब्रुन सोबर्स।
- देश: वेस्टइंडीज (बारबाडोस)।

- कैरियर: 1954-1974।
- भूमिका: बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के तेज-मध्यम और स्पिन गेंदबाज।
- के रूप में माना जाता है: क्रिकेट इतिहास का सबसे महान ऑलराउंडर।
- टेस्ट मैच: 93.
- रन: 8,032।
- बल्लेबाजी औसत: 57.78।
- शतक: 26.
- टेस्ट विकेट: 235.
- वनडे: 1 मैच।



प्रमुख उपलब्धियां:

- 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन बनाए, जो तब सर्वोच्च व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर था, एक रिकॉर्ड जो 1994 तक था।
- प्रथम श्रेणी क्रिकेट (1968) में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने।
- टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज की कहानी की।

सम्मान और पुरस्कार:

- क्रिकेट की सेवाओं के लिए 1975 में नाइट (सर) की उपाधि दी गई।
- 1998 में बारबाडोस का राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया।
- सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर को प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के बारे में:

- द्वारा स्थापित: अंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)।
- के लिए सम्मानित किया गया: आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर।
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मानों में से एक।

बारबाडोस के बारे में:

- राजधानी: ब्रिजटाउन।
- मुद्रा: बारबेडियन डॉलर (BBD)।

अंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बारे में:

- स्थापित: 1909 (इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में)।
- वर्तमान नाम अपनाया गया: 1989।
- मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात।
- सदस्य: 108 (पूर्ण और सहयोगी सदस्य)।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम कैरेबियाई देशों और क्षेत्रों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करती है, न कि एक संप्रभु देश।
- सर गारफील्ड सोबर्स का 365 (1958) * सर्वोच्च व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर बना रहा जब तक कि ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) ने 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ 375 रन नहीं बनाए।
- ब्रायन लारा ने बाद में 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन बनाकर मौजूदा विश्व रिकॉर्ड बनाया।
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी 2007 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में हर्शल गिब्स (दक्षिण अफ्रीका) थे।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- क्रिकेटर: सर गारफील्ड "गैरी" सोबर्स।
- देश: वेस्टइंडीज (बारबाडोस)।
- क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर।
- उच्चतम टेस्ट स्कोर: 365* (1958)।
- ऐतिहासिक उपलब्धि: प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाली पहली।
- नाइट: 1975।
- बारबाडोस के राष्ट्रीय नायक: 1998।
- उनके नाम पर: सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी (आईसीसी मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर)।



- भारत सरकार ने स्वच्छ खेल के लिए भारत के कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025 की शुरुआत को अधिसूचित किया है। इन अधिनियमों का उद्देश्य भारत की डोपिंग रोधी व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़ना, एथलीटों के अधिकारों की रक्षा करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और देश के डोपिंग रोधी कार्यक्रम की विश्वसनीयता को बढ़ाना है।

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने लागू किया है:

- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025
- अधिसूचना भारत के डोपिंग रोधी शासन और संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत करती है।

मुख्य बिंदु

कानून लागू किया गया:

- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025
- मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय।
- उद्देश्य: खेलों में डोपिंग को रोकना और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

फोकस क्षेत्र:

- एथलीट सुरक्षा।
- संस्थागत स्वायत्तता।
- पारदर्शी विवाद समाधान।
- वैश्विक एंटी-डोपिंग मानकों के साथ संरेखण।
- भारत के डोपिंग रोधी कार्यक्रम की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को मजबूत करता है।

अधिनियमों के उद्देश्य:

- निषिद्ध प्रदर्शन-बढ़ाने वाले पदार्थों के उपयोग को रोकें।
- निष्पक्ष प्रक्रियाओं के माध्यम से एथलीटों के अधिकारों की रक्षा करना।
- खेल प्रतियोगिताओं में अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करें।
- स्वतंत्र डोपिंग रोधी संस्थानों को मजबूत करना।
- परीक्षण, जांच और निर्णय में पारदर्शिता में सुधार करें।
- भारत के डोपिंग रोधी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाना।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 की मुख्य विशेषताएं:

- डोपिंग रोधी विनियमन के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- एक स्वतंत्र डोपिंग विरोधी शासन संरचना स्थापित करता है।

नियंत्रित करता है:

- डोपिंग नियंत्रण।
- नमूना संग्रह और परीक्षण।
- पड़ताल।
- परिणाम प्रबंधन।
- अपील और विवाद समाधान।
- उचित प्रक्रिया और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के माध्यम से एथलीटों की रक्षा करता है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025:

संशोधन अधिनियम:

- संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करता है।
- शासन और जवाबदेही में सुधार करता है।
- प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को बढ़ाता है।
- विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित करता है।
- भारत के ढांचे को विकसित वैश्विक डोपिंग रोधी मानकों के अनुरूप बनाया गया।

NADA (राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी) के बारे में

- स्थापित: 2005।
- प्रशासनिक मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय।
- महानिदेशक: आशीष भार्गव
- मुख्यालय: नई दिल्ली।

कार्य:

- डोप परीक्षण करता है।
- एंटी-डोपिंग नियमों को लागू करता है।
- डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- अंतरराष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठनों के साथ समन्वय।
- डोपिंग रोधी नियमों के अनुपालन की निगरानी करता है।

वाडा (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी) के बारे में

स्थापित: 1999।
मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा।
राष्ट्रपति: विटोल्ड बांका
उद्देश्य: दुनिया भर के खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देना, समन्वय करना और निगरानी करना।
विश्व डोपिंग रोधी संहिता और प्रतिबंधित पदार्थों और विधियों की वार्षिक निषिद्ध सूची प्रकाशित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ढांचा:

भारत का डोपिंग रोधी ढांचा इसके अनुरूप है:

- विश्व डोपिंग रोधी संहिता (वाडा कोड)।
- खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005)।
- परीक्षण, शिक्षा, प्रयोगशालाओं, चिकित्सीय उपयोग छूट, जांच और परिणाम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- अपनाया गया: 2005।
- सरकारों द्वारा विश्व डोपिंग रोधी संहिता को लागू करने में मदद की।
- भारत कन्वेंशन का एक राज्य पक्ष है।

विश्व डोपिंग रोधी संहिता

वाडा द्वारा प्रकाशित।
खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नीतियों में सामंजस्य स्थापित किया गया।
कवर: परीक्षण।
पड़ताल।
निषिद्ध पदार्थ।
चिकित्सीय उपयोग छूट (टीयूई)।
पढ़ाई।
परिणाम प्रबंधन।
अनुपालन निगरानी।

परीक्षा फोकस बिंदु:

अधिनियम: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025।
मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय।
राष्ट्रीय एजेंसी: नाडा।
वैश्विक एजेंसी: वाडा।
वाडा मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005)।
वैश्विक मानक: विश्व डोपिंग रोधी कोड।
उद्देश्य: स्वच्छ खेल, एथलीट सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा।

इराक ने पश्चिमी कंपनियों के साथ प्रमुख तेल सौदों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सीरिया पाइपलाइन को पुनर्जीवित करने के

समझौते भी शामिल हैं



यह खबरों में क्यों है?

- इराक सरकार ने तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए पश्चिमी तेल कंपनियों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख समझौतों में से एक का उद्देश्य इराक-सीरिया तेल पाइपलाइन को पुनर्जीवित करना है, जो कई वर्षों से निष्क्रिय है।

मुख्य विचार

• देश: इराक
• भागीदार: पश्चिमी तेल कंपनियां, जिनमें बीपी (यूनाइटेड किंगडम) और टोटलएनर्जीज (फ्रांस) शामिल हैं।
• क्षेत्र: तेल और गैस
• मुख्य समझौता: इराक-सीरिया तेल पाइपलाइन का पुनरुद्धार।
• उद्देश्य: तेल निर्यात बढ़ाना, ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना।
• पाइपलाइन मार्ग: कच्चे तेल के निर्यात के लिए इराक के तेल क्षेत्रों को सीरिया के भूमध्यसागरीय तट से जोड़ता है।
• अतिरिक्त फोकस: तेल क्षेत्रों, प्राकृतिक गैस परियोजनाओं और ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विकास।

इराक-सीरिया तेल पाइपलाइन के बारे में

• उद्देश्य: सीरिया के माध्यम से भूमध्यसागरीय बंदरगाहों तक इराकी कच्चे तेल का परिवहन करना।
• स्थिति: दशकों के संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाइपलाइन काफी हद तक निष्क्रिय रही है।
• लाभ: इसके पुनरुद्धार से इराक को एक अतिरिक्त निर्यात मार्ग मिलेगा और क्षेत्रीय ऊर्जा कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

इराक के बारे में:

• राजधानी: बगदाद
• मुद्रा: इराकी दीनार (IQD)
• आधिकारिक भाषाएँ: अरबी और कुर्द
• राष्ट्रपति: अब्दुल लतीफ राशिद
• प्रधान मंत्री: मोहम्मद शिया अल सूदानी
• पड़ोसी देश: तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया।

महत्व

- इन समझौतों से इराक के तेल उत्पादन में वृद्धि, निर्यात क्षमता में सुधार, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने की उम्मीद है। इराक-सीरिया पाइपलाइन को पुनर्जीवित करने से क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग भी मजबूत हो सकता है और इराक के तेल निर्यात मार्गों में विविधता आ सकती है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

- बीपी: एक बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी जिसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है।
- टोटल एनर्जी: एक बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
- इराक: सिद्ध कच्चे तेल भंडार के दुनिया के सबसे बड़े धारकों में से एक और ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) का संस्थापक सदस्य।
- ओपेक मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।

परीक्षा फोकस पॉइंट

• देश: इराक
• भागीदार: बीपी और टोटलएनर्जीज
• परियोजना: इराक-सीरिया तेल पाइपलाइन का पुनरुद्धार
• उद्देश्य: तेल निर्यात बढ़ाना और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना
• राजधानी: बगदाद
• मुद्रा: इराकी दीनार (IQD)
• संगठन: ओपेक
• महत्व: इराक के ऊर्जा बुनियादी ढांचे और निर्यात नेटवर्क का विस्तार।

भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से एक और MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर मिला



यह खबरों में क्यों है?

- भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से एक और MH-60R सीहॉक बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है, जो भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। यह हेलीकॉप्टर निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों को बढ़ाने के लिए भारत के चल रहे रक्षा खरीद कार्यक्रम का हिस्सा है।

मुख्य विचार

संगठन: भारतीय नौसेना
हेलीकॉप्टर: MH-60R Seahawk
निर्माता: लॉकहीड मार्टिन (सिकोरस्की एयरक्राफ्ट)
आपूर्तिकर्ता: संयुक्त राज्य अमेरिका
भूमिका: बहु-भूमिका समुद्री हेलीकॉप्टर
उद्देश्य: समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW), सतह रोधी युद्ध (ASuW), खोज और बचाव (SAR), और निगरानी अभियानों को मजबूत करना।
खरीद: संयुक्त राज्य अमेरिका से 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भारत के समझौते का हिस्सा।
डिलिवरी: नया डिलीवर किया गया हेलीकॉप्टर अनुबंध के तहत शेष विमानों में से एक है।

MH-60R सीहॉक के बारे में

प्रकार: बहु-भूमिका नौसेना हेलीकॉप्टर।
प्राथमिक भूमिकाएँ: पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी, खोज और बचाव, और रसद सहायता।
विशेषताएं: उन्नत रडार, सोनार, टॉरपीडो, मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस।
ऑपरेटर: संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना और कई संबद्ध देशों द्वारा उपयोग किया जाता है।

भारतीय नौसेना के बारे में

- मुख्यालय: नई दिल्ली
- नौसेना प्रमुख: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन

सुप्रीम कोर्ट ने एमएमडीआर अधिनियम के तहत 'रॉयल्टी पर रॉयल्टी' को बरकरार रखा



यह खबरों में क्यों है?

- भूमिका: भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है, समुद्री मार्गों की रक्षा करता है और हिंद महासागर क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

महत्व

- एक और एमएच-60आर सीहॉक को शामिल करने से भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता बढ़ती है और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री खतरों की निगरानी और प्रतिक्रिया देने की इसकी क्षमता मजबूत होती है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस): भारत के एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों को विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) कार्यक्रम के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदा जा रहा है।
लॉकहीड मार्टिन: एक अमेरिकी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी जिसका मुख्यालय बेथेल्सडा, मैरीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
सिकोरस्की एयरक्राफ्ट: लॉकहीड मार्टिन की एक सहायक कंपनी जो एमएच - 60 आर सीहॉक हेलीकॉप्टर बनाती है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

संगठन: भारतीय नौसेना
हेलीकॉप्टर: MH-60R Seahawk
निर्माता: लॉकहीड मार्टिन (सिकोरस्की)
आपूर्तिकर्ता: संयुक्त राज्य अमेरिका
कुल हेलीकॉप्टरों का आदेश दिया गया: 24
प्राथमिक भूमिका: पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री निगरानी

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत 'रॉयल्टी पर रॉयल्टी' प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा है। निर्णय स्पष्ट करता है कि खनन पट्टों के लिए रॉयल्टी से संबंधित भुगतान की गणना कैसे की जानी चाहिए।

इस कदम के पीछे का कारण

- रॉयल्टी गणना को स्पष्ट करने के लिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत कुछ शुल्कों की गणना कानूनी रूप से रॉयल्टी राशि के आधार पर की जा सकती है, जिससे गणना की विधि पर भ्रम समाप्त हो जाता है।

- राजस्व हानि से बचने के लिए: यदि इन शुल्कों की सही गणना नहीं की गई, तो राज्य सरकारें खनन गतिविधियों से महत्वपूर्ण राजस्व खो सकती हैं।
- लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवादों को समाप्त करने के लिए: खनन कंपनियों ने "रॉयल्टी पर रॉयल्टी" प्रावधान की वैधता को चुनौती दी थी। निर्णय इस मुद्दे को सुलझाता है और कानूनी निश्चितता प्रदान करता है।
- समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए: यह निर्णय सभी राज्यों में खनन बकाया की गणना के लिए एक सामान्य विधि बनाता है, जिससे अलग-अलग व्याख्याओं को रोका जा सके।
- खनन विनियमन को मजबूत करने के लिए: यह MMDR अधिनियम, 1957 के तहत वैधानिक खनन शुल्क लगाने के लिए सरकार के अधिकार को सुदृढ़ करता है, जिससे खनन क्षेत्र का बेहतर विनियमन सुनिश्चित होता है।

'रॉयल्टी पर रॉयल्टी' क्या है?

रॉयल्टी: खनन कंपनियों द्वारा खनिज निकालने के लिए सरकार को किया गया भुगतान।
रॉयल्टी पर रॉयल्टी: कुछ अतिरिक्त भुगतानों की गणना केवल निकाले गए खनिजों की मात्रा या मूल्य के बजाय रॉयल्टी राशि के आधार पर की जाती है।
उद्देश्य: एमएमडीआर अधिनियम के तहत खनन पट्टा धारकों द्वारा देय कुल राशि का निर्धारण करना।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के बारे में

पूर्ण रूप: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
उद्देश्य: भारत में खनन क्षेत्र, खनिज अन्वेषण और खनन पट्टों को नियंत्रित करता है।
द्वारा प्रशासित: खान मंत्रालय, भारत सरकार।

- दायरा: खनन पट्टों और खनिज रियायतों के अनुदान, नवीनीकरण और विनियमन को नियंत्रित करता है।

महत्व

- यह निर्णय रॉयल्टी गणना पर कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है, खनन क्षेत्र में अनिश्चितता को कम करता है, और खनन से संबंधित राजस्व एकत्र करने के लिए सरकार के ढांचे को मजबूत करता है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

रॉयल्टी: खनिजों के निष्कर्षण के लिए सरकार को किया गया एक वैधानिक भुगतान।
जिम्मेदार मंत्रालय: खान मंत्रालय।
एमएमडीआर अधिनियम: भारत में खनन और खनिज क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून।

परीक्षा फोकस पॉइंट

न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अधिनियम: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
मंत्रालय: खान मंत्रालय
मुद्दा: रॉयल्टी पर रॉयल्टी
निर्णय: प्रावधान को वैध माना जाता है
क्षेत्र: खनन और खनिज

RBI ने नियामक उल्लंघनों के लिए मुथूट फाइनेंस और तीन अन्य NBFC पर मौद्रिक जुर्माना लगाया



यह खबरों में क्यों है?

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए मुथूट फाइनेंस और तीन अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नियामक अनुपालन में कमियों के

कारण जुर्माना लगाया गया था और यह ग्राहक लेनदेन की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।

इस कदम के पीछे का कारण

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षी निरीक्षण किया और इसके नियामक दिशानिर्देशों के कई उल्लंघन पाए। वित्तीय अनुशासन को लागू करने और उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई ने मौद्रिक दंड लगाया। दंड प्रकृति में प्रशासनिक हैं और ग्राहक लेनदेन या समझौतों की वैधता को प्रभावित नहीं करते हैं।

शामिल संस्थाएं और कारण

- मुथूट फाइनेंस लिमिटेड

- जुर्माना: ₹5.80 लाख

- कारण: समय-समय पर ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा करने में विफल रहा और आरबीआई के केवाईसी/एएमएल मानदंडों का उल्लंघन करते हुए संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी ढंग से पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए मजबूत सॉफ्टवेयर तैनात नहीं किया।

लाभ वित्तीय सेवा लिमिटेड

- जुर्माना: ₹6.20 लाख

- कारण: इसके प्रबंध निदेशक ने दो अन्य मध्य स्तर की एनबीएफसी में निदेशक पद संभाला, जो आरबीआई के शासन मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। कंपनी ने एकल-पार्टी एक्सपोजर सीमा का भी उल्लंघन किया, जिससे खुद को अत्यधिक ऋण जोखिम का सामना करना पड़ा।

सत्या माइक्रोकैपिटल लिमिटेड

- जुर्माना: ₹3.10 लाख

- कारण: आरबीआई के मानदंडों के तहत आवश्यक कुछ पुनर्गठित ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने में विफल।

पैन इमामी कॉस्मिड लिमिटेड

- जुर्माना: ₹3.10 लाख

- कारण: आरबीआई विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, उधारकर्ताओं के एक समूह के लिए निर्धारित क्रेडिट एक्सपोजर सीमा से अधिक हो गया।

धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड

- जुर्माना: ₹2.70 लाख

- कारण: वित्तीय संचालन और अनुपालन आवश्यकताओं से संबंधित आरबीआई के नियामक निर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित।

मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड

- जुर्माना: ₹2.70 लाख

- कारण: पर्यवेक्षी निरीक्षण के दौरान आरबीआई के नियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बारे में

- स्थापना: 1 अप्रैल 1935

- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

- राज्यपाल: संजय मल्होत्रा

- भूमिका: भारत का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति, बैंकिंग विनियमन, वित्तीय स्थिरता और मुद्रा जारी करने के लिए जिम्मेदार है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के बारे में

- अर्थ: वित्तीय संस्थान जो ऋण, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखते हैं।

- नियामक: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)।

- कार्य: क्रेडिट, गोल्ड लोन, वाहन ऋण, आवास वित्त और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करें।

- बैंकों से अंतर: एनबीएफसी बचत या चालू खाता जमा जैसे मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

परीक्षा फोकस पॉइंट

- नियामक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

- इकाई दंडित: मुथूट फाइनेंस और तीन अन्य एनबीएफसी

- कारण: आरबीआई नियामक और अनुपालन मानदंडों का उल्लंघन

- क्षेत्र: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

- RBI मुख्यालय: मुंबई

- RBI गवर्नर: संजय मल्होत्रा

- उद्देश्य: नियामक अनुपालन और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना।

लेट्स रिवाइज

- ❖ भारत के पहले सफल निजी कक्षीय रॉकेट मिशन का नाम क्या है? **मिशन आगमन**
- ❖ किस कंपनी ने मिशन आगमन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? **स्काईरूट एयरोस्पेस**
- ❖ मिशन आगमन में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? **विक्रम-1**
- ❖ एक्सरसाइज पिच ब्लैक, जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है, किस देश द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है? **ऑस्ट्रेलिया (रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना)।**
- ❖ किस संगठन ने विश्वास 2026 योजना शुरू की? **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)।**
- ❖ डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, जो अक्सर समाचारों में देखे जाते हैं, किस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए थे? **उपभोक्ता मामले विभाग।**
- ❖ सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है, आईसीसी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है: **आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर।**
- ❖ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? **2005.**
- ❖ इराक के नए ऊर्जा समझौतों के तहत किस पाइपलाइन को पुनर्जीवित करने की योजना है? **इराक-सीरिया तेल पाइपलाइन**
- ❖ किन दो प्रमुख पश्चिमी ऊर्जा कंपनियों ने इराक के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए? **बीपी और टोटलएनर्जी**
- ❖ इराक-सीरिया तेल पाइपलाइन को पुनर्जीवित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? **भूमध्य सागर के माध्यम से इराक के तेल निर्यात को बढ़ाने के लिए।**
- ❖ हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय नौसेना को कौन सा समुद्री हेलीकॉप्टर दिया गया था? **एमएच-60आर सीहॉक**
- ❖ किस देश ने भारतीय नौसेना को MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की? **संयुक्त राज्य अमेरिका**
- ❖ भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कितने MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए अनुबंध किया है? **24 हेलीकॉप्टर**
- ❖ MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? **लॉकहीड मार्टिन (सिकोरस्की एयरक्राफ्ट)**
- ❖ 'रॉयल्टी पर रॉयल्टी' निर्णय किस अधिनियम से संबंधित है? **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)**
- ❖ खनन क्षेत्र में 'रॉयल्टी' शब्द का क्या अर्थ है? **खनन कंपनियों द्वारा खनिजों के निष्कर्षण के लिए सरकार को किया गया भुगतान।**
- ❖ एमएमडीआर अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? **1957**
- ❖ आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना क्यों लगाया? **केवाईसी/एएमएल मानदंडों का पालन करने में विफलता, जिसमें ग्राहक जोखिम वर्गीकरण की अपर्याप्त समीक्षा और संदिग्ध लेनदेन निगरानी शामिल है।**



The **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

Daily **NEWS CHRONICLE**

IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

CONTACT US



+91 8434931877



achievers_ias_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA